विविध पत्रावली 2023/000

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

श्रीमती राजवंती बनाम मेहरचंद उर्फ मूलचंद व अन्य

प्रकरण संख्या 2023/059

online #

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आरटीए, 136 एलआर एक्ट

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
13.06.2023	वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 11 जुलाई, 2023 को पेश हो.	
11/07/23	आज पीठासीन अधिकारी अन्य उपा. कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/07/23 को पेश हो।	
17/07/23	आज पीठासीन अधिकारी अन्य उपा. कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02/08/23 को पेश हो।	
2/8/23	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/8/23 को पेश हो।	
22/8/23	आज पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/9/23 को पेश हो।	
5/9/23	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-9-23 को पेश हो।	
12/9/23	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/9/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

28/07/25 अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी ने बहस हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 02/08/25 को पेश हो।

02/08/25 अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 07/08/25 को पेश हो।

07/08/25 अधिवक्तागण उभय पक्ष / [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] के निस्तारण [illegible] किया गया। [illegible] पत्रावली से [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S
वाद संख्या 059/2023
अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्रीमती राजवन्ती धर्मपत्नी श्री दुलीचंद जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

......वादिया

ब ना म

1. मेहर चन्द उर्फ मूल चन्द पुत्र श्री नत्थू राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हीरा राम पुत्र श्री नत्थू राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जेसीटी मिल्स, श्रीगंगानगर।
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (भारतीय स्टेट बैंक) शाखा चूनावढ तहसील वजिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर .... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री सुरेश धमीजा (प्रति. संख्या 1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–5)

दिनांक 7 मई 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीया के पति दुलीचंद पुत्र श्री नत्थू राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगागनर का दिनांक 06.05.2021 को देहान्त हो चुका है। जिनकी वादीया विवाहिता (पत्नी) यानि विधिक उत्तराधिकारी है। वादीया के पति दुलीचंद व वादीया के पति के भाईयों, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मेहरचंद उर्फ मूलचंद, हीराराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 26.07.1990 को श्रीमती करमाबाई बेवा खुशीया जाति चूड़ा निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर से उसकी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 12 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 92/65 का मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 3 (9 बिस्वा), 4(18 बिस्वा), 5 (18 बिस्वा), 8 (10 बिस्वा), 9 (सालम), 10 (सालम), 11(सालम) कुल 5–15 बीघा यानि 1.455 है0 नहरी कृषि भूमि बहिस्सा बराबर खरीद की थी। जिसका बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक चूनावढ में दिनांक 26.07.1990 को विधिपूर्वक पंजीबद्धशुदा है। इस प्रकार उक्त खरीदशुदा 5–15 बीघा यानि 1.455 है0 में से वादीया के पति दुलीचंद 1/3 हिस्सा के मालिक, काबिज व खातेदार थे। उक्त बैयनामा दिनांक 26.07.1990 के आधार पर उक्त रकबा का नामान्तरणकरण संख्या 117 वादीया के पति दुलीचंद व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मेहरचंद उर्फ मूलचंद, हीराराम के नाम से दर्ज हो गया तथा जमाबन्दी में भी उक्त भूमि वादीया के पति दुलीचंद व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। यह कि इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पति में वादीया के पति का 1/3 हिस्सा बनता है तथा कब्जा भी 1/3 हिस्सा पर चला आ रहा है। मगर राजस्व कर्मचारियों की गफलत से उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से वादीया के पति का नाम विलोपित हो गया और उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज हो गई। जबकि वास्तविक रूप से उक्त भूमि के [illegible] हिस्सा के स्वामी वादीया के पति व 1/3 – 1/3 हिस्सा के स्वामी प्रतिवादी [illegible] व 2 है । कुछ दिन पूर्व वादीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि का विरासत [illegible] के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि के रिकॉर्ड में से आपके पति का नाम हट गया है तथा चक 12 एल एल के खाता संख्या 92/65 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.455 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम [illegible] दर्ज हो गई तथा उन्होने उक्त हिस्सा को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पांस बिना कब्जे के रहन रख कर ऋण भी प्राप्त कर लिया है। यह कि वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से मिलकर उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए कहा जिन्होने सहमति से दुरूस्ती करवाने से इन्कार कर दिया। इस पर प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त दुरूस्ती किये जाने का अनुरोध किया। मगर प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 01.06.2023 को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। अन्त में वादीया द्वारा निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि (1) वाद ग्रस्त आराजी वाके चक 12 एल एल के खाता संख्या 92/65 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.455 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादीया के पति श्री दुलीचंद पुत्र श्री नत्थूराम जाति मेघवाल साकिन ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर 1/3 हिस्सा के खातेदार है । (2) यह भी घोषित किया जावे कि वादीया के पति की उक्त 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 अथवा 4 का कोई बन्धक (रहन) भार आदि नहीं है। (3) यह कि चक 12 एल एल के खाता संख्या 92/65 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.455 हैक्टेयर भूमि में से उक्त 1/3 हिस्सा भूमि वादीया के पति के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद करवाई जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2044, 2056, 2060 एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 चक 12 एल एल तहसील श्रीगंगानगर तथा रजिस्टरी बैयनामा दि0 26.07.1990 की फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई। वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश धमीजा उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को जारी सम्मन सम्यक रूप से तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित नहीं होने के कारण उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने दौराने बहस वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से यह साबित है कि राजस्व कर्मियों की भूल से वादिया के पति का नाम हटा है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता वादी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किए कि राजस्व रिकार्ड में बिलकुल सही व सत्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विधिपूर्वक तरीके से जमाबन्दी में दर्ज है। मृतक दुली चन्द का नाम क्लेरिकल मिस्टेक से नहीं हटा है, बल्कि विधि पूर्ण तरीके से दुली चन्द का रकबा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुआ है। साथ ही यह भी कथन किया कि वादीया द्वारा वाद पत्र के साथ कोई वारिसनामा पेश नहीं किया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वादीया मृतक दुलीचन्द की विधिक वारिस है। राजवन्ती नाम की गांव में कोई और भी महिला हो सकती है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद वादिया निरस्त करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "मुताबिक चक 12 एल एल के इंतकाल संख्या 117 में करमा बाई जोजा खुशीया कौम चूहड़ा सा0 देह खातेदार से जरिये रजिस्ट्री उप पंजीयक चूनावढ़ क्रम संख्या 120 दिनांक 26.07.1990 को हीराराम, मेहरचन्द उर्फ मूलचन्द व दुलीचन्द पि0 नत्थूराम ब0हि0ब0 1.455 है0 नहरी दर्ज है। जमाबंदी सम्बत 2060–2063 बनाते समय खाता संख्या 50/50 मु0 न0 42 रकबा 1.455 है0 दुलीचन्द पुत्र श्री नत्थूराम का नाम छूट गया। मुताबिक जमाबन्दी चालू सम्बत् 2072–2075 खाता संख्या 92/65 मु0 न0 42 रकबा 1.455 है0 नहरी मेहरचन्द उर्फ मूलचंद पुत्र नत्थूराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल सा0 ततारसर खातेदार रहिन SBI शाखा JCT मील श्रीगंगानगर व हीराराम पुत्र श्री नत्थूराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा0 ततारसर खातेदार दर्ज है।" इस प्रकार तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादिया के कथनों की पुष्टि की है। दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उन्हे दुली चन्द से विधिपूर्ण तरीके से भूमि प्राप्त हुई हैं। वादीया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत 2044, 2056, 2060 तथा रजिस्टरी बैयनामा दि0 26.07.1990 तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का [illegible] अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि पूर्व की जमाबन्दियों में वादीया के पति दुली चन्द [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था, मगर जमाबंदी सम्बत 2060–2063 बनाते [illegible] खाता संख्या 50/50 के मु0 न0 42 के रकबा 1.455 है0 में दुलीचन्द [illegible] का नाम दर्ज होना छूट गया। जिससे यह स्पष्ट है कि वादिया के पति दुली चन्द उक्त रकबा में से 1/3 हिस्सा के खातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को दुली चन्द [illegible] हिस्सा की हद तक की भूमि पर ऋण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त परिस्थितियों में वाद वादिया स्वीकार किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि चक 12 एल एल के खाता संख्या 2072—2075 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि (बिना रहन) का खातेदार श्री दुली चन्द पुत्र श्री नत्थू राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर है तथा दुली चन्द के हिस्सा पर कोई वन्धक (रहन) भार नहीं है। अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि कि चक 12 एल एल के खाता संख्या 92/65 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.455 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में, दुली चन्द पुत्र श्री नत्थू राम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. ततारसर, मेहरचन्द उर्फ मूलचन्द पुत्र श्री नत्थूराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. ततारसर, हीरा राम पुत्र श्री नत्थू राम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. ततारसर खातेदार दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की भूमि पर कोई रहन भार हो तो वह यथावत रखा जावे, दुली चन्द के हिस्सा की भूमि पर कोई रहन भार अंकित नहीं किया जावे। वादिया, अपने पति दुली चन्द के हिस्सा की भूमि का नियमानुसार विरातन इन्तकाल दर्ज करवाने की अधिकारी होगी। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 7 मई 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(Order 20 Rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता R.A.S.

1. राजवन्ती धर्मपत्नी श्री दुलीचंद जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ......वादिया

ब ना म

1. मेहर चन्द उर्फ मूल चन्द पुत्र श्री नत्थू राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हीरा राम पुत्र श्री नत्थू राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जेसीटी मिल्स, श्रीगंगानगर।
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (भारतीय स्टेट बैंक) शाखा चूनावढ
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर .... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री सुरेश धमीजा	(प्रति. संख्या 1)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–5)

दिनांक 7 मई 2025

वाद संख्या 059/2023

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

इस प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रैक श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधि.प्रति.सं 1 श्री सुरेश धमीजा व पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि– वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि चक 12 एल एल के खाता संख्या 2072–2075 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि (बिना रहन) का खातेदार श्री दुली चन्द पुत्र श्री नत्थू राम जाति मेघवाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर है तथा दुली चन्द के हिस्सा पर कोई बन्धक (रहन) भार नहीं है। अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि कि चक 12 एल एल के खाता संख्या 92/65 के मुरब्बा नम्बर 42 की 1.455 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में, दुली चन्द पुत्र श्री नत्थू राम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. ततारसर, मेहरचन्द उर्फ मूलचन्द पुत्र श्री नत्थूराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. ततारसर, हीरा राम पुत्र श्री नत्थू राम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. ततारसर खातेदार दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की भूमि पर कोई रहन भार हो तो वह यथावत रखा जावे, दुली चन्द के हिस्सा की भूमि पर कोई रहन भार अंकित नहीं किया जावे। वादिया, अपने पति दुली चन्द के हिस्सा की भूमि का नियमानुसार विरातन इन्तकाल दर्ज करवाने की अधिकारी होगी। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। अतः डिक्री जारी की जाती है। रूप्ये ....शून्य....वास्त.... शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय मय ब्याज...शून्य....दर रूप्ये.....शून्य..आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 7 मई 2025 को जारी की गई।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प [illegible]	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प [illegible]	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजरा	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर